| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 26/9/25 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थीनी की ओर से अधिवक्ता द्वारा बहस कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थीनी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी खाता संख्या नया 4 पुराना 4 खसरा नं0 380 रकबा 1.46 है0 कुल किता 1 रकबा 1.46 है0 हिस्सा 1/4 वाकै ग्राम डडवाडा पटवार हल्का भंवरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है, जो प्रार्थी उमरफारूक पुत्र जुम्मा हिस्सा 1/4 जाति मुसलमान सा0 कैथून के खाते दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी का नाम मोहम्मद उमर उर्फ उमरफारूक है तथा ग्राम डडवाडा की जमाबंदी में प्रार्थी का नाम उमरफारूक पुत्र जुम्मा दर्ज हो गया है। अन्य सभी दस्तावेज में प्रार्थी का नाम मोहम्मद उमर दर्ज हो रहा है जिसके कारण मुझे राजस्व लाभ मीलने में परेशानी हो रही है। प्रार्थी का नाम दस्तावेजों में मोहम्मद उमर होने व रिकॉर्ड में उमरफारूक होने से प्रार्थी को अपनी आराजी का उन्नत उपयोग करने व ऋण आदी लेने में तथा सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हो पा रही है इस हेतु प्रार्थी द्वारा अनेक बार राजस्व अभियान आदि में उर्फ लगाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये किन्तु कोई सुनवाई नहीं होने वादीगण के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कारना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का नाम ग्राम डडवाडा तहसील लाडपुरा स्थित आराजी में उमरफारूक उर्फ मोहम्मद उमर कर रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान अन्य सहायता भी वादीगण को प्रतिवादी से प्रदान करवाई जावे।<br>प्रार्थीनी के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णन किया है कि ग्रामवासियान द्वारा जानकारी करने पर बताया गया कि मोहम्मद उमर तथा मोहम्मद उमर फारूक एक ही व्यक्ति है या अलग अलग मुताबिक गवाहान दोनो एक ही व्यक्ति है। ग्रामवासियों के अनुसार मोहम्मद उमर व मोहम्मद उमर फारूक दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है जिसे दोनो नामों से पुकारा जाता है।<br>बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस प्रार्थीनी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराया।<br>उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली एवं पत्रावली में सलंग्न तहसील रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया है कि ग्रामवासियों के अनुसार मोहम्मद उमर व मोहम्मद उमर फारूक दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है जिसे दोनो नामों से पुकारा जाता है। तहसील रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मोहम्मद उमर एवं उमर फारूक एक ही व्यक्ति के नाम है। उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन तहसील रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम डडवाडा पटवार हल्का भंवरिया खाता संख्या नया 4 पुराना 4 खसरा नं0 380 रकबा 1.46 है0 कुल किता 1 रकबा 1.46 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में उमर फारूक पुत्र जुम्मा के स्थान पर उमर फारूक उर्फ मोहम्मद उमर पुत्र जुम्मा दर्ज किया जावे।<br>उक्त निर्णय आज दिनांक 26/9/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>उपखण्ड अधिकारी कोटा<br>गजेन्द्र सिंह<br>उपखण्ड अधिकारी<br>कोटा<br>उपखण्ड अधिकारी कोटा | |